तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय संक्षिप्ताक्षर अफसर
20.06.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– नाथूसर के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण वर्ष 2015 से न्यायालय में लम्बित चला आ रहा है तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 6 की ओर से दिनांक 26.07.2016 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो चूका है तथा अप्रार्थी न0 7 ता 9 की ओर से आज मौके पर उपस्थित तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने औपचारिक पक्षकार होने से जवाब का मोहताज नहीं होने बाबत अवगत कराया। प्रकरण में गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रकरण का मूल वाद के निस्तारण तक निर्णय किया जाना उचित समझता हूँ। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर प्रकरण में उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2015 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत विवादित आराजियात् भूमि खसरा नम्बर 471 कुल रकबा 4.11 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प–नाथूसर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। (ब्रह्म लाल जाट) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प:–नाथूसर